



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-07112020-223000
CG-DL-W-07112020-223000

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 7—नवम्बर 13, 2020 (कार्तिक 16, 1942)
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 7—NOVEMBER 13, 2020 (KARTIKA 16, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली—01, दिनांक 21 अक्टूबर 2020

सं. 1-18011/19/2017-आई.पी.एस.-4—भारत के राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के राजस्थान संवर्ग के श्रीमती के.बी.वंदना, भा.पु.से. (राजस्थान : 2004) को दिनांक 27.12.2006 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

ए. के. सरन, निदेशक (पुलिस)

दिनांक 23 अक्टूबर 2020

सं. 1-18011/08/2019-आई.पी.एस.-4—भारत के राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के बिहार संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थाई करते हैं :—

क्र.सं.	परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री गौरव मंगला, भा.पु.से. (बिहार : 2013)	03.12.2017
2.	श्री विनय तिवारी, भा.पु.से. (बिहार : 2015)	28.12.2018
3.	श्री हृदय कांत, भा.पु.से. (बिहार : 2015)	28.12.2019

क्र.सं.	परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तिथि
4.	श्रीमती लिपि सिंह, भा.पु.से. (बिहार : 2016)	29.08.2018
5.	श्री अशोक मिश्रा, भा.पु.से. (बिहार : 2016)	29.08.2018
6.	श्री अमितेश कुमार, भा.पु.से. (बिहार : 2016)	29.08.2019

ए. के. सरन, निदेशक (पुलिस)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर 2020

सं. 37/71/2014-ईपी—राष्ट्रपति शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सौरभ रे, आईडीईएस (1994) को तत्काल प्रभाव से प्रारंभ में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए भारत के शत्रु संपत्ति का अभिरक्षक (सीईपीआई) (संयुक्त सचिव स्तर) नियुक्त करते हैं। वह सीईपीआई के कार्यालय से संयुक्त सचिव के पद के लिए लागू सामान्य वेतन और भत्ते आहरित करेंगे।

सुशील कुमार, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्टूबर 2020

सं. 02/01/2017-एडीबी-I(भाग)—राष्ट्रपति, श्री समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक के मुख्यालय, मनीला, फिलीपीन्स में बैंक के निदेशक मंडल पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, लाओ पीडीआर, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल तक उनके प्रभार को धारण करने की तारीख से राजदूत के पद के साथ भारत के प्रमुख निवासी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हैं।

व्योमेश पंत, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्टूबर 2020

सं. ए-22012(1)/2016-आ.सला.प्रशा.-I—आर्थिक मामलों के विभाग के आदेश संख्या पी-11/2020 (एफ. संख्या 13016/1/2020-आई.ई.एस.) दिनांक 9 अक्टूबर 2020, के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा श्री आनंद सिंह भाल (भा.आ.से.: 1985) को भारतीय आर्थिक सेवा के उन्नत लेवल वेतनमान लेवल-17 (रुपये 2,25,000/- स्थिर) संशोधित वेतन संरचना पर प्रधान सलाहकार के पद पर आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में दिनांक 9 अक्टूबर, 2020 की पूर्वाह्न से अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है।

मीनाक्षी रावत, आर्थिक सलाहकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 16 जून 2020

सं. ए-32014/01/2018-स्था.-महामहिम राष्ट्रपति वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग में संशोधित लचीली पूरक योजना (एमएफसीएस) के अंतर्गत स्वस्थाने पदोन्नति के आधार पर श्रीमती सुजाता चक्लानोबिस, वैज्ञानिक 'अफ' को वैज्ञानिक 'जी' के ग्रेड पे-मैट्रिक्स लेवल-14 (रु. 144200-218200/-) में नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन की दिनांक अर्थात् 27 मई, 2020 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

भानु सुरेन्द्र, निदेशक (प्रशा.)

दिनांक 30 जून 2020

सं ए-38011/37/2020-स्थापना-माननीय राष्ट्रपति, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में कार्यरत डॉ. एस के देशपांडे, वैज्ञानिक 'जी' को दिनांक 30 जून, 2020 (अपराह्न) को अधिवर्षिता की आयु पूर्ण होने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

भानु सुरेन्द्र, निदेशक (प्रशा.)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 30 सितंबर 2020

सं. ए-38011/40/2020-स्था.—राष्ट्रपति श्रीमती अमृत पाल कौर, अनुभाग अधिकारी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर सरकारी सेवा से 30 सितंबर, 2020 (अपराह्न) को सहर्ष सेवानिवृत्त करते हैं।

एस.एस.पी. सिन्हा, अवर सचिव

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अक्टूबर 2020

सं. 8-9/2020/एफई.—राष्ट्रपति द्वारा श्री अरविंद कुमार चौरसिया, भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) (सीएंडसीई 2010) की वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी), नई दिल्ली में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की गैर-केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अंतर्गत दिनांक 05.10.2020 (पूर्वाह्न) से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर उप-निदेशक के पद पर (वेतन मैट्रिक्स के 12/13 स्तर में) की नियुक्ति की जाती है।

महेन्द्र यादव, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 26 अक्टूबर 2020

सं. ए. 12025/316/2014-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अजय कुमार चौधरी को दिनांक 05 फरवरी, 2015 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी.-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. अजय कुमार चौधरी को श्रम मंत्रालय (श्रमिक कल्याण संगठन, गुवाहाटी) के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

के. वैकटेशन, अवर सचिव

सं. ए. 12025/202/2016-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. भगत रविकिरन हरीश को दिनांक 02 सितम्बर, 2016 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी.-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. भगत रविकिरन हरीश को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नागपुर के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

के. वैकटेशन, अवर सचिव

सं. ए. 12025/219/2016-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. भारत भूषण दोप्पलपूड़ी को दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी.-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. भारत भूषण दोप्पलपूड़ी को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

के. वैकटेशन, अवर सचिव

सं. ए. 12025/87/2017-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. ईथा उदय कुमार को दिनांक 01 मई, 2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी.-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. ईथा उदय कुमार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

के. वैकटेशन, अवर सचिव

सं. ए. 12025/102/2017-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. शंकर मुद्दुनेनी को दिनांक 01 मई, 2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी.-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन]

(पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. शंकर मुद्नेनी को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

के. वैकटेशन, अवर सचिव

सं. ए. 12025/264/2017-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. महेश्वरा महेन्दर को दिनांक 22 अक्टूबर, 2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी.-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. महेश्वरा महेन्दर को श्रम मंत्रालय (श्रमिक कल्याण संगठन, हैदराबाद) के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

के. वैकटेशन, अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक अक्टूबर 2020

सं. 6(2828)/2018-प्रशा./8162—राष्ट्रपति द्वारा डॉ. सैयद मासूम रज़ा, सहायक निदेशक (राजभाषा), पठवि सचिवालय, मुंबई (वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10) को 25.09.2020 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुंबई में उप निदेशक (राजभाषा) (वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

अशोक बी. गेरीरा, अवर सचिव

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 नवम्बर 2019

विषय : सिविल सेवा परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' में नियुक्ति।

सं. 07-01/2017-एसईए.1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2018 के आधार पर श्री के सजल (रैंक-284) (सामान्य) को भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ समयमान में पे लेवल 10 (56,100-1,77,500 रु.) के पे मैट्रिक्स में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :-

(i) वे नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा की अवधि के दौरान, उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं, जैसी भी स्थिति हो।

(ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया गया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी कि यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठा की अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी रखने की शपथ लेनी होगी।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए संगत नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने के अधीन होगी।

3(क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अधीन होगी।

3(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाणपत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन किसी अन्य दंडात्मक कार्यवाही के बारे में बिना किसी पूर्वाग्रह के उनकी नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उसे यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो वह दिनांक 10.12.2019 से शुरू होने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए दिनांक 9.12.2019 तक महानिदेशक, एनआईसीएफ, मेट्रो पिलर नं. 152 के सामने, घिटोरनी, महारौली, गुडगांव रोड, नई दिल्ली-110047 (ईमेल-nicfghitorni@gmail.com) को रिपोर्ट करेंगे/करेंगी। यदि वह इस प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर व्यावसायिक प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होते हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा।

5. जो अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में शामिल हो जाएंगे उनके मामले में बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख को ही सेवा में शामिल होने की तारीख माना जाएगा।

नेहा सिंह, अवर सचिव (एसईए-1)

विषय : सिविल सेवा परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' में नियुक्ति।

सं. 07-01/2017-एसईए-1-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2018 के आधार पर सुश्री शुभा कुमारी (रैंक-308) (सामान्य) को भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ समयमान में पे लेवल 10 (56,100-1,77,500 रु.) के पे मेट्रिक्स में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं:-

(i) वे नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान, उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं, जैसी भी स्थिति हो।

(ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया गया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी कि यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठा की अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी रखने की शपथ लेनी होगी।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए संगत नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो (i) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने और (ii) दूरसंचार विभाग द्वारा शैक्षिक योग्यता से संबंधित कुछ दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी।

3(क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।

3(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाणपत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन किसी अन्य दंडात्मक कार्यवाही के बारे में बिना किसी पूर्वाग्रह के उनकी नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उन्हें यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो वह दिनांक 10.12.2019 से शुरू होने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए दिनांक 9.12.2019 तक महानिदेशक, एनआईसीएफ, मेट्रो पिलर नं. 152 के सामने, घिटोरनी, महरौली, गुडगांव रोड, नई दिल्ली-110047 (ईमेल-nicfghitorni@gmail.com) को रिपोर्ट करेंगे/करेंगी। यदि वह इस प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर व्यावसायिक प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होते हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा।

5. जो अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में शामिल हो जाएंगे उनके मामले में बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख को ही सेवा में शामिल होने की तारीख माना जाएगा।

नेहा सिंह, अवर सचिव (एसईए-1)

विषय : सिविल सेवा परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' में नियुक्ति।

सं. 07-01/2017-एसईए-1-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2018 के आधार पर सुश्री विदिता डागर (रैंक-315) (सामान्य) को भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ समयमान में पे लेवल-10 (56,100-1,77,500 रु.) के पे मेट्रिक्स में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं:-

(i) वे नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान, उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं, जैसी भी स्थिति हो।

(ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया गया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी कि यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठा की अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी रखने की शपथ लेनी होगी।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए संगत नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने के अध्यधीन होगी।

3(क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।

3(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाणपत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन किसी अन्य दंडात्मक कार्यवाई के बारे में बिना किसी पूर्वाग्रह के उनकी नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उन्हें यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो वह दिनांक 10.12.2019 से शुरू होने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए दिनांक 09.12.2019 तक महानिदेशक, एनआईसीएफ, मेट्रो पिलर नं. 152 के सामने, घिटोरनी, महारौली, गुडगांव रोड, नई दिल्ली-110047 (ईमेल-nicfghitorni@gmail.com) को रिपोर्ट करेंगे/करेंगी। यदि वह इस प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर व्यावसायिक प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होते हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा।

5. जो अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में शामिल हो जाएंगे उनके मामले में बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख को ही सेवा में शामिल होने की तारीख माना जाएगा।

नेहा सिंह, अवर सचिव (एसईए-1)

विषय : सिविल सेवा परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' में नियुक्ति।

सं. 07-01/2017-एसईए-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2018 के आधार पर श्री रजत भारद्वाज (रैंक-366) (सामान्य) को भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ समयमान में पे लेवल (56,100-1,77,500 ₹0) के पे मेट्रिक्स में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :-

(i) वे नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान, उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं, जैसी भी स्थिति हो।

(ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया गया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी कि यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठा की अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी रखने की शपथ लेनी होगी।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए संगत नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने के अध्यधीन होगी।

3 (क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।

3(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाणपत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन किसी अन्य दंडात्मक कार्यवाही के बारे में बिना किसी पूर्वाग्रह के उनकी नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उसे यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो वह दिनांक 10.12.2019 से शुरू होने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए दिनांक 9.12.2019 तक महानिदेशक, एनआईसीएफ, मेट्रो पिलर नं. 152 के सामने, घिटोरनी, महरौली, गुडगांव रोड, नई दिल्ली-110047 (ईमेल- nicfghitorni@gmail.com) को रिपोर्ट करेंगे/करेंगी। यदि वह इस प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर व्यावसायिक प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होते हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा।

5. जो अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में शामिल हो जाएंगे उनके मामले में बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख को ही सेवा में शामिल होने की तारीख माना जाएगा।

नेहा सिंह, अवर सचिव (एसईए-1)

विषय : सिविल सेवा परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' में नियुक्ति।

सं. 07-01/2017-एसईए.।-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2018 के आधार पर सुश्री श्रुति कम्बोज (रैंक- 586) (अ.पि.व.) को भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ समयमान में पे लेवल 10 (56,100-1,77,500 रु.) के पे मेट्रिक्स में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :-

(i) वे नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान, उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं, जैसी भी स्थिति हो।

(ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया गया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी कि यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठा की अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी रखने की शपथ लेनी होगी।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए संगत नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने के अध्यधीन होगी।

3 (क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।

3(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाणपत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के बारे में बिना किसी पूर्वाग्रह के उनकी नियुक्ति तत्कात रद्द कर दी जाएगी।

4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उसे यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो वह दिनांक 10.12.2019 से शुरू होने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए दिनांक 9.12.2019 तक

महानिदेशक, एनआईसीएफ, मेट्रो पिलर नं. 152 के सामने, घिटोरनी, महरौली, गुडगांव रोड, नई दिल्ली-110047 (ईमेल- nicfghitorni@gmail.com) को रिपोर्ट करेंगे/करेंगी। यदि वह इस प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर व्यावसायिक प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होते हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा।

5. जो अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में शामिल हो जाएंगे उनके मामले में बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख को ही सेवा में शामिल होने की तारीख माना जाएगा।

नेहा सिंह, अवर सचिव (एसईए-1)

विषय : सिविल सेवा परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' में नियुक्ति।

सं. 07-01/2017-एसईए.।-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2018 के आधार पर श्री अक्षय गुप्ता (रैंक- 639) (सामान्य) (दिव्यांग) को भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ समयमान में पे लेवल 10 (56,100-1,77,500 रु.) के पे मेट्रिक्स) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :-

(i) वे नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा की अवधि के दौरान, उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं, जैसी भी स्थिति हो।

(ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया गया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी कि यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठा की अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी रखने की शपथ लेनी होगी।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए संगत नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने के अध्यधीन होगी।

3 (क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।

3(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाणपत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के बारे में बिना किसी पूर्वाग्रह के उनकी नियुक्ति तत्कात रद्द कर दी जाएगी।

4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उसे यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो वह दिनांक 10.12.2019 से शुरू होने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए दिनांक 9.12.2019 तक महानिदेशक, एनआईसीएफ, मेट्रो पिलर नं. 152 के सामने, घिटोरनी, महरौली, गुडगांव रोड, नई दिल्ली-110047 (ईमेल- nicfghitorni@gmail.com) को रिपोर्ट करेंगे/करेंगी। यदि वह इस प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर व्यावसायिक प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होते हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा।

5. जो अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में शामिल हो जाएंगे उनके मामले में बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख को ही सेवा में शामिल होने की तारीख माना जाएगा।

नेहा सिंह, अवर सचिव (एसईए-1)

विषय : सिविल सेवा परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' में नियुक्ति।

सं. 7-01/2017-एसईए-1-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा, परीक्षा 2018 के आधार पर श्री चेत राम मीणा (रैंक नं० 733) (अनु.जनजाति) को भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ समयमान में पे लेवल 10 (56,100-1,77,500 रु.) के पे मेट्रिक्सर में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :-

(i) वे नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान, उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं, जैसी भी स्थिति हो।

(ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया गया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी कि यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठा की अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी रखने की शपथ लेना।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए संगत नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो इन शर्तों के अधीन होगी-(i) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने और (ii) उचित माध्यम द्वारा सत्यापित किए जा रहे जाति प्रमाण पत्र और यदि सत्यापन करने पर अभ्यर्थी का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा गलत पाया जाता है तो उसकी सेवा बिना कोई अन्य कारण दिए तथा गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत की जाने वाली आगे की कार्रवाई के बारे में बिना कोई पूर्वाग्रह रखे तत्काल समाप्ति कर दी जाएगी।

3(क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अधीन होगी।

3(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाणपत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के बारे में बिना किसी पूर्वाग्रह के उनकी नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उसे यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो वह दिनांक 10.12.2019 से शुरू होने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए दिनांक 9.12.2019 तक महानिदेशक, एनआईसीएफ, मेट्रो पिलर नं. 152 के सामने, घिटोरनी, महरौली, गुडगांव रोड, नई दिल्ली-110047 (ईमेल- nicfghitorni@gmail.com) को रिपोर्ट करेंगे/करेंगी। यदि वह इस प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर व्यावसायिक प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होते हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा।

5. जो अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में शामिल हो गया है उसके मामले में बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख को ही सेवा में शामिल होने की तारीख माना जाएगा।

नेहा सिंह, अवर सचिव (एसईए-1)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 दिसम्बर 2019

विषय : सिविल सेवा परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' में नियुक्ति।

सं. 07-01/2017-एसईए.।-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2018 के आधार पर श्री आदित्य भट्ट (आर.एल. सं. 30)(सामान्य) को भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ समयमान में पे-लेवल 10 (56,100-1,77,500 रु.) के पे-मेट्रिक्स में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं:-

(i) वे नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा की अवधि के दौरान, उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं, जैसी भी स्थिति हो।

(ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया गया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी कि यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठा की अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी रखने की शपथ लेनी होगी।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए संगत नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने के अध्यधीन होगी।

3(क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।

3(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाणपत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के बारे में बिना किसी पूर्वाग्रह के उनकी नियुक्ति तत्कात रद्द कर दी जाएगी।

4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उन्हें यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो वह व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए महानिदेशक, एनआईसीएफ, मेट्रो पिलर नं. 152 के सामने, घिंटोरनी, महरौली, गुडगांव रोड, नई दिल्ली-110047 (ईमेल-nicfghitorni@gmail.com) को रिपोर्ट करेंगे/करेंगी। तथापि, यदि वह व्यावसायिक प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होते हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव इस प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह कि समाप्ति के बाद रद्द हो जाएगा।

5. जो अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में शामिल हो जाएंगे उनके मामले में बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख को ही सेवा में शामिल होने की तारीख माना जाएगा।

ओ.पी. जैरथ, सहायक महानिदेशक (एसईए-1)

विषय : सिविल सेवा परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' में नियुक्ति।

सं. 07-01/2017-एसईए.।-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2018 के आधार पर श्री अभिलाष (आर.एल. सं. 31) (सामान्य) को भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ समयमान में पे-लेवल 10 (56,100-1,77,500 रु0) के पे-मेट्रिक्स में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं:-

(i) वे नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा की अवधि के दौरान, उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं, जैसी भी स्थिति हो।

(ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया गया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी कि यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठा की अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी रखने की शपथ लेनी होगी।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए संगत नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने के अध्यधीन होगी।

3 (क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।

3(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाणपत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के बारे में बिना किसी पूर्वाग्रह के उनकी नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उन्हें यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो वह व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए महानिदेशक, एनआईसीएफ, मेट्रो पिलर नं. 152 के सामने, घिटोरनी, महारौली, गुडगांव रोड, नई दिल्ली-110047 (ईमेल-nicfghitorni@gmail.com) को रिपोर्ट करेंगे/करेंगी। तथापि, यदि वह व्यावसायिक प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होते हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव इस प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह कि समाप्ति के बाद रद्द हो जाएगा।

5. जो अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में शामिल हो जाएंगे उनके मामले में बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख को ही सेवा में शामिल होने की तारीख माना जाएगा।

ओ. पी. जैरथ, सहायक महानिदेशक (एसईए-1)

विषय : सिविल सेवा परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' में नियुक्ति।

सं. 07-01/2017-एसईए.।—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2018 के आधार पर श्री आलोक कुमार पाण्डे (आर.एल. सं. 37) (सामान्य) को भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ समयमान में पे-लेवल 10 (56,100-1,77,500 रु.) के पे-मेट्रिक्स में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं:—

(i) वे नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान, उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं, जैसी भी स्थिति हो।

(ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया गया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी कि यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठा की अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी रखने की शपथ लेनी होगी।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए संगत नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने के अध्यक्षीन होगी।

3(क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यक्षीन होगी।

3(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाणपत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के बारे में बिना किसी पूर्वाग्रह के उनकी नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उन्हें यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो वह व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए महानिदेशक, एनआईसीएफ, मेट्रो पिलर नं. 152 के सामने, घिंटोरनी, महरौली, गुडगांव रोड, नई दिल्ली-110047 (ईमेल-nicfghitorni@gmail.com) को रिपोर्ट करेंगे/करेंगी। तथापि, यदि वह व्यावसायिक प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होते हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव इस प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह कि समाप्ति के बाद रद्द हो जाएगा।

5. जो अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में शामिल हो जाएंगे उनके मामले में बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख को ही सेवा में शामिल होने की तारीख माना जाएगा।

ओ. पी. जैरथ, सहायक महानिदेशक (एसईए-1)

विषय : सिविल सेवा परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' में नियुक्ति।

सं. 07-01/2017-एसईए.।—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2018 के आधार पर सुश्री संतोष चौधरी (आर.एल. सं. 44)(ओबीसी) को भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ समयमान में पे-लेवल 10 (56,100-1,77,500 रु0) के पे-मेट्रिक्स में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं:—

(i) सुश्री संतोष चौधरी नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान, उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथा स्थिति अनुसार या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वह लियन पर हैं।

(ii) इस नियुक्ति से पूर्व उन्हें निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि उनके एक से अधिक पति जीवित हैं, या एक पति के जीवित रहते हुए उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति के जीवित रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया गया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी कि यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी एक पत्नी जीवित है, तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठा की अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी रखने की शपथ लेनी होगी।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए संगत नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो (i) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने के अध्यधीन होगी और (ii) समुदाय प्रमाणपत्र के उचित माध्यमों द्वारा सत्यापित कर लिए जाने के अध्यधीन होगी और यदि जांच में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) से संबंधित होने और क्रीमी लेयर से संबंधित न होने का दावा झूठ है तो झूठे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के कारण उनकी सेवाएं बिना कोई और कारण बताए तथा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई के बारे में बिना किसी पूर्वाग्रहों के तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी।

3 (क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।

3(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाणपत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के बारे में बिना किसी पूर्वाग्रह के उनकी नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उन्हें यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो वह व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए महानिदेशक, एनआईसीएफ, मेट्रो पिलर नं. 152 के सामने, घिंटोरनी, महरौली, गुडगांव रोड, नई दिल्ली-110047 (ईमेल-nicfghitorni@gmail.com) को रिपोर्ट करेंगे/करेंगी। तथापि, यदि वह व्यावसायिक प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होते हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव इस प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह की समाप्ति के बाद रद्द हो जाएगा।

5 जो अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में शामिल हो जाएंगे उनके मामले में बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख को ही सेवा में शामिल होने की तारीख माना जाएगा।

ओ. पी. जैरथ, सहायक महानिदेशक (एसईए-1)

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 23 अक्टूबर 2020

सं. ईआरबी-1/2020/2/45—राष्ट्रपति जी, श्री अरुण अरोड़ा, आईआरएसएमई को 22.10.2020 के अपराहन से वेतनमान-16 में पदोन्नत होने पर, अपर सदस्य (पर्यावरण एवं हाउसकिपिंग), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सुशांत कुमार मिश्रा, सचिव

सं. ई(ओ)III-2020/आर.एन./29—श्री हरि मोहन गुप्ता, भारतीय रेल अभियांत्रिकी सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी (जन्म तिथि: 01.07.1966, डीआईटीएस: 07.01.1991, लिऐन: उत्तर रेलवे), डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) में तत्काल समाह्न होने के परिणामस्वरूप उन्होंने 13.10.2020 (पूर्वाह्न) से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

एस. के. मिश्रा, सचिव

दिनांक 26 अक्टूबर 2020

सं. ई(ओ)III-2020/आर.एन./30—श्री संदीप त्रिवेदी, भारतीय रेल कार्मिक सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी (एनबीआर के तहत) (जन्म तिथि: 10.08.1966, डीआईटीएस: 15.07.1994, लिऐन: रेल कोच फैक्ट्री), भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) में स्थाई समाह्न होने के परिणामस्वरूप उन्होंने 26.08.2020 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

एस. के. मिश्रा, सचिव

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली-03, दिनांक 27 अक्टूबर 2020

सं. सी-31013/3/2020—सतर्कता—राष्ट्रपति, श्री अमल गर्ग, आईआरएस (आईटी:95) को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में वेतन स्तर-14 (1,44,200—2,18,200/-) पर पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक या अगले आदेशों, जो भी पहले हो, के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) के रूप में नियुक्त करते हैं।

नरेंद्र सिंह, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर 2020

सं. 12/2020 फा.सं.2-12/2020-प्रशा. II—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री निमाई अधिकारी, अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय 31 अक्टूबर, 2020 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

हाउसुआनथांग गुइते, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-01, the 21st October 2020

No. I-18011/19/2017-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President of India is pleased to confirm Smt. K. B Vandana, IPS (RJ:2004) in the Indian Police Service with effect from 27.12.2006.

A.K.SARAN, Director (Police)

The 23rd October 2020

No. I-18011/08/2019-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President of India is pleased to confirm the following officers of the Indian Police Service borne on the cadre of Bihar, in the Indian Police Service with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the IPS Probationer	Date of confirmation
1.	Shri Gaurav Mangla, IPS (BH:2013)	03.12.2017
2.	Shri Vinay Tiwari, IPS (BH:2015)	28.12.2018
3.	Shri Hriday Kant, IPS (BH:2015)	28.12.2019
4.	Smt. Lipi Singh, IPS (BH:2016)	29.08.2018
5.	Shri Ashok Mishra, IPS (BH:2016)	29.08.2018
6.	Shri Amitesh Kumar, IPS (BH:2016)	29.08.2019

A.K.SARAN, Director (Police)

New Delhi, the 28th October 2020

No. 37/71/2014-EP—In exercise of the powers conferred under section 3 of the Enemy Property Act, 1968, the President is pleased to appoint Shri Saurav Ray, IDES (1994), as the Custodian of Enemy Property for India (CEPI) (JS level), with immediate effect, initially for the period of 2 years from the date of assumption of the charge of the post. He will be drawing the usual pay and allowances applicable to the post of Joint Secretary from the office of CEPI.

SUSHIL KUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi-110001, the 16th October 2020

No. 2/1/2017-ADB-I (Part)—The President is pleased to designate Shri Sameer Kumar Khare as the Principal Resident Representative of India with rank of Ambassador with effect from the date of assumption of his charge till his tenure as Executive Director for Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Lao PDR, Tajikistan and Turkmenistan on the Board of Directors of the Asian Development Bank at the Bank's Headquarters in Manila, Philippines.

VYOMESH PANT, Under Secretary

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE)
OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER

New Delhi, the 12th October 2020

No. A-22012 (1)/2016-Ec.Ad. (Admn.I)—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. P-11/2020 (File No. 13016/1/2020-IES) dated 9th October 2020, the President is pleased to appoint Shri Anand Singh Bhal (IES : 1985), to the post of Principal Adviser, in the Apex Scale of Pay Matrix Level 17 (Rs. 2,25,000/- fixed), in the Office of the

Economic Adviser, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry, with effect from the forenoon of 9th October 2020 and until further orders.

MEENAXI RAWAT, Economic Adviser

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi, the 16th June 2020

No. A-32014/01/2018-Estt.—The President is pleased to appoint Smt. Sujata Chaklanobis, Scientist ‘F’ to the grade of Scientist ‘G’ in the Department of Scientific & Industrial Research, Ministry of Science and Technology on in-situ promotion basis under the Modified Flexible Complementing Scheme(MFCS) in the Pay Matrix Level -14 of Rs. 144200-218200/- with effect from 27.05.2020(FN) and until further orders.

BHANU SURENDER, Director (Admn.)

The 30th June 2020

No. A-38011/37/2020-Estt.—The President is pleased to retire Dr. S.K. Deshpande, Scientist ‘G’, Department of Scientific and Industrial Research from Govt. Service on 30th June, 2020 (A/N) on attaining the age of superannuation.

BHANU SURENDER, Director (Admn.)

New Delhi-110016, the 30th September 2020

No. A-38011/40/2020-Estt.—The President is pleased to retire Smt. Amrit Pal Kaur, Section Officer, Department of Scientific and Industrial Research from Government Service on 30th September, 2020 (A/N) on attaining the age of superannuation.

S.S.P. SINHA, Under Secretary

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

New Delhi-110003, the 14th October 2020

No 8-9/2020-FE—The President is pleased to appint Shri Arvind Kumar Chaurasia, IRS (C&CE:2010) to the post of Deputy Director (in level 12/13 of the Pay Matrix) in Wildlife Crime Control Bureau (WCCB), New Delhi on deputation basis under the non-CSS of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change w.e.f. the forenoon of 05.10.2020 (FN) for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

MAHENDRA YADAV, Under Secretary

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 26th October 2020

No. A.12025/316/2014-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ajay Kumar Choudhary to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600—39100 + Grade Pay Rs.5 400] in a temporary capacity with effect from the forenoon of 05th February, 2015 until further orders. Dr. Ajay Kumar Choudhary is posted as Medical Officer under Ministry of Labour, (LWO, Guwahati).

K. VENKATESAN, Under Secretary

No. A.12025/202/2016-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Bhagat Ravikiran Harish to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 02nd September, 2016 until further orders. Dr. Bhagat Ravikiran Harish is posted as Medical Officer under CGHS Nagpur.

K. VENKATESAN, Under Secretary

No. A.12025/219/2016-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Bharat Bhushan Doppalapudi to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600—39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 13th October, 2016 until further orders. Dr. Bharat Bhushan Doppalapudi is posted as Medical Officer under CGHS Mumbai.

K. VENKATESAN, Under Secretary

No. A.12025/87/2017-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Itha Uday Kumar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600—39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 01st May, 2017 until further orders. Dr. Itha Uday Kumar is posted as Medical Officer under CGHS Hyderabad.

K. VENKATESAN, Under Secretary

No. A.12025/102/2017-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Shankar Muttneni to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600—39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 01st May, 2017 until further orders. Dr. Shankar Muttneni is posted as Medical Officer under CGHS Hyderabad.

K. VENKATESAN, Under Secretary

No. A.12025/264/2017-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Maheshwara Mahender to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 22nd October, 2017 until further orders. Dr. Maheshwara Mahender is posted as Medical Officer under Ministry of Labour, (LWO, Hyderabad).

K. VENKATESAN, Under Secretary

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 27th October 2020

No. 6(2828)/2018-Adm/8162—The President is pleased to appoint Dr. Syed Masoom Raza, Assistant Director (OL), DAE Secretariat, (Level-10 of Pay Matrix) as Deputy Director (OL) (Level-11 of Pay Matrix) in DAE Secretariat, Mumbai with effect from the forenoon of 25.09.2020 until further orders.

ASHOK B. GERIRA, Under Secretary

MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 21st November 2019

Sub: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of Civil Services Examination, 2018.

No. 07-01/2017-SEA-I—On the basis of the Civil Services Examination, 2018 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Sh. K Sajal (Rank 284) (General) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the Pay Level -10 (Rs.56,100 -1,77,500) in the Pay Matrix on the following terms:—

- [i] He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.

- [ii] The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- [iii] The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- [iv] The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.
- [v] Taking of an oath of allegiance /faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.
- [vi] The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.
- [vii] Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications.

3 a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3 b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document/ testimonials etc. furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/ material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/ misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the Director General, National Institute of Communication Finance, opposite Metro Pillar No.-152, Ghitorni, Mehrauli, Gurgaon Road, New Delhi-110047 (E-mail: - nicf.moc@gov.in/nicfghitorni@gmail.com) on 09.12.2019 for professional training commencing from 10.12.2019. However, if he/she does not join the professional training, this offer would lapse after expiry of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

NEHA SINGH, US [SEA-I]

Sub: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of Civil Services Examination, 2018.

No. 07-01/2017-SEA-I—On the basis of the Civil Services Examination, 2018 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Ms. Shubhra Kumari (Rank 308) (General) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the Pay Level -10 (Rs.56,100 -1,77,500) in the Pay Matrix on the following terms:—

- [i] He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.
- [ii] The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

- [iii] The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- [iv] The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.
- [v] Taking of an oath of allegiance /faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.
- [vi] The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.
- [vii] Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to (i) clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications and (ii) Verification of certain document relating to Educational Qualifications by the Department of Telecom.

3 a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3 b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document/testimonials etc. furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/ misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the Director General, National Institute of Communication Finance, opposite Metro Pillar No.-152, Ghitorni, Mehrauli, Gurgaon Road, New Delhi-110047 (E-mail:- nicf.moc@gov.in/nicfghitorni@gmail.com) on 09.12.2019 for professional training commencing from 10.12.2019. However, if he/she does not join the professional training, this offer would lapse after expiry of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

NEHA SINGH, US [SEA-I]

Sub: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of Civil Services Examination, 2018.

No. 07-01/2017-SEA-I—On the basis of the Civil Services Examination, 2018 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Ms. Vidita Dagar (Rank 315) (General) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the Pay Level -10 (Rs.56,100 -1,77,500) in the Pay Matrix on the following terms:—

- [i] He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.
- [ii] The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- [iii] The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

- [iv] The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.
- [v] Taking of an oath of allegiance /faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.
- [vi] The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.
- [vii] Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications.

3 a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3 b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document/ testimonials etc. furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/ material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/ misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the Director General, National Institute of Communication Finance, opposite Metro Pillar No.-152, Ghitorni, Mehrauli, Gurgaon Road, New Delhi-110047(E-mail:- nicf.moc@gov.in/nicfghitorni@gmail.com) on 09.12.2019 for professional training commencing from 10.12.2019. However, if he/she does not join the professional training, this offer would lapse after expiry of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

NEHA SINGH, US [SEA-I]

Sub: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of Civil Services Examination, 2018.

No. 07-01/2017-SEA-I—On the basis of the Civil Services Examination, 2018 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Sh. Rajat Bhardwaj (Rank 366) (General) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the Pay Level -10 (Rs.56,100 -1,77,500) in the Pay Matrix on the following terms:—

- [i] He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.
- [ii] The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- [iii] The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- [iv] The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

- [v] Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.
- [vi] The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.
- [vii] Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications.

3 a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3 b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document/testimonials etc. furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/ misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the Director General, National Institute of Communication Finance, opposite Metro Pillar No.-152, Ghitorni, Mehrauli, Gurgaon Road, New Delhi-110047(E-mail:- nicf.moc@gov.in/nicfghitorni@gmail.com) on 09.12.2019 for professional training commencing from 10.12.2019. However, if he/she does not join the professional training, this offer would lapse after expiry of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

NEHA SINGH, US [SEA-I]

Sub: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of Civil Services Examination, 2018.

No. 07-01/2017-SEA-I—On the basis of the Civil Services Examination, 2018 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Ms. Shruti Kamboj (Rank 586) (OBC) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the Pay Level -10 (Rs.56,100 -1,77,500) in the Pay Matrix on the following terms:

- [i] He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.
- [ii] The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- [iii] The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- [iv] The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.
- [v] Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.
- [vi] The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

- [vii] Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to (i) clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications and (ii) the community certificate being verified through the proper channels and if the verification reveals that the claim of the candidate to belong to OBC or not to belong to creamy layer is false, his/her services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Panel Code for production of false certificates.

3a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document/testimonials etc. furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the Director General, National Institute of Communication Finance, opposite Metro Pillar No.-152, Ghitorni, Mehrauli, Gurgaon Road, New Delhi-110047(E-mail:- nicf.moc@gov.in/nicfghitorni@gmail.com) on 09.12.2019 for professional training commencing from 10.12.2019. However, if he/she does not join the professional training, this offer would lapse after expiry of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

NEHA SINGH, US [SEA-I]

Sub: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of Civil Services Examination, 2018.

No. 07-01/2017-SEA-I—On the basis of the Civil Services Examination, 2018 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Sh. Akshay Gupta (Rank 639) (General) (P.H.) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the Pay Level -10 (Rs.56,100 -1,77,500) in the Pay Matrix on the following terms:

- [i] He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.
- [ii] The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- [iii] The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- [iv] The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.
- [v] Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.
- [vi] The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

- [vii] Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications.

3a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document/testimonials etc. furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the Director General, National Institute of Communication Finance, opposite Metro Pillar No.-152, Ghitorni, Mehrauli, Gurgaon Road, New Delhi-110047(E-mail:- nicf.moc@gov.in/nicfghitorni@gmail.com) on 09.12.2019 for professional training commencing from 10.12.2019. However, if he/she does not join the professional training, this offer would lapse after expiry of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

NEHA SINGH, US [SEA-I]

Sub: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of result of Civil Services Examination, 2018.

No. 07-01/2017-SEA-I—On the basis of the Civil Services Examination, 2018 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Sh. Chet Ram Meena (Rank No.733) [S.T.] to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the Pay Level -10 (Rs.56,100 -1,77,500) in the Pay Matrix on the following terms:

- [i] He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.
- [ii] The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- [iii] The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- [iv] The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.
- [v] Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.
- [vi] The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.
- [vii] Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to (i) clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications and (ii) the caste/tribe certificate being verified

through the proper channels and if the verification reveals that the claim of the candidate to belong to SC/ST, as the case may be, is false, his/ her services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Panel Code for production of false certificates.

3a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/ material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/ misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the Director General, National Institute of Communication Finance, opposite Metro Pillar No.-152, Ghitorni, Mehrauli, Gurgaon Road, New Delhi-110047(E-mail:-nicf.moc@gov.in/nicfghitorni@gmail.com) on 09.12.2019 for professional training commencing from 10.12.2019. However, if he/she does not join the professional training, this offer would lapse after expiry of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

NEHA SINGH, US [SEA-I]

New Delhi-110001, the 24th December 2019

Sub: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of Civil Services Examination, 2018.

No. 07-01/2017-SEA-I—On the basis of the Civil Services Examination, 2018 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Mr. Aditya Bhatt (R.L. No. 30) (General) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the Pay Level-10 (Rs. 56,100 -1,77,500) in the Pay Matrix on the following terms:—

- [i] He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.
- [ii] The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- [iii] The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- [iv] The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.
- [v] Taking of an oath of allegiance /faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.
- [vi] The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.
- [vii] Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications.

3a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document/testimonials etc. furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the Director General, National Institute of Communication Finance, opposite Metro Pillar No.-152, Ghitorni, Mehrauli, Gurgaon Road, New Delhi-110047 (E-mail: - nicf.moc@gov.in/nicfghitorni@gmail.com) for professional training. However, if he/she does not join the professional training, this offer would lapse after expiry of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

O. P. JAIRATH, ADG [SEA-I]

Sub: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of Civil Services Examination, 2018.

No. 07-01/2017-SEA-I—On the basis of the Civil Services Examination, 2018 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Mr. Abhilashh (R.L. No. 31) (General) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the Pay Level -10 (Rs.56,100 -1,77,500) in the Pay Matrix on the following terms:—

- [i] He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.
- [ii] The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- [iii] The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- [iv] The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.
- [v] Taking of an oath of allegiance /faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.
- [vi] The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.
- [vii] Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications.

3a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document/testimonials etc. furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the Director General, National Institute of Communication Finance, opposite Metro Pillar No.-152, Ghitorni, Mehrauli, Gurgaon Road, New Delhi-110047 (E-mail: - nicf.moc@gov.in/nicfghitorni@gmail.com) for professional training. However, if he/she does not join the professional training, this offer would lapse after expiry of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

O. P. JAIRATH, ADG [SEA-I]

Sub: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of Civil Services Examination, 2018.

No. 07-01/2017-SEA-I—On the basis of the Civil Services Examination- 2018 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Mr. Alok Kumar Pandey (R.L. No. 37) (General) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the Pay Level -10 (Rs.56,100 -1,77,500) in the Pay Matrix on the following terms:—

- [i] He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.
- [ii] The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- [iii] The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- [iv] The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.
- [v] Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.
- [vi] The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.
- [vii] Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications.

3a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document/testimonials etc. furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the Director General, National Institute of Communication Finance, opposite Metro Pillar No.-152, Ghitorni, Mehrauli, Gurgaon Road, New Delhi-110047 (E-mail: - nicf.moc@gov.in/nicfghitorni@gmail.com) for professional training. However, if he/she does not join the professional training, this offer would lapse after expiry of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

O. P. JAIRATH, ADG [SEA-I]

Sub: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of Civil Services Examination, 2018.

No. 07-01/2017-SEA-I—On the basis of the Civil Services Examination- 2018 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Ms. Santosh Choudhary (R.L. No. 44) (OBC) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the Pay Level -10 (Rs.56,100 -1,77,500) in the Pay Matrix on the following terms:—

- [i] He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.
- [ii] The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- [iii] The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- [iv] The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.
- [v] Taking of an oath of allegiance /faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.
- [vi] The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.
- [vii] Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to (i) clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications and (ii) the community certificate being verified through the proper channels and if the verification reveals that the claim of the candidate to belong to OBC or not to belong to creamy layer is false, his/ her services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false certificates.

3a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document/ testimonials etc. furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/ material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/ misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the Director General, National Institute of Communication Finance, opposite Metro Pillar No.-152, Ghitorni, Mehrauli, Gurgaon Road, New Delhi-110047(E-mail:- nicf.moc@gov.in/nicfghitorni@gmail.com) for professional training. However, if he/she does not join the professional training, this offer would lapse after expiry of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

O. P. JAIRATH, ADG [SEA-I]

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 23rd October 2020

No. ERB-I/2020/2/45—The President is pleased to appoint Shri Arun Arora, HAG/IRSME, as Additional Member (Environment & Housekeeping), Railway Board on promotion to Pay Level-16, with effect from afternoon of 22.10.2020.

SUSHANT KUMAR MISHRA, Secretary

No. E(O)III-2020/RN/29—Consequent upon his immediate absorption in Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL), Shri Hari Mohan Gupta, an SAG officer of Indian Railway Service of Engineers (DoB: 01.07.1966; DITS: 07.01.1991; Lien: NR), has resigned from Railway service with effect from 13.10.2020 (F/N).

SUSHANT KUMAR MISHRA, Secretary

The 26th October 2020

No. E(O)III-2020/RN/30—Consequent upon his permanent absorption in Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd. (IRCTC), Shri Sandeep Trivedi, an SAG officer (under NBR) of the Indian Railway Personnel Service (DoB: 10.08.1966; DITS: 15.07.1994; Lien: RCF), has resigned from Railway service with effect from 26.08.2020.

SUSHANT KUMAR MISHRA, Secretary

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi-03, the 27th October 2020

No. C-31013/3/2020-Vig—The President is pleased to appoint Shri Amal Garg, IRS (IT:95) as CVO in Airports Authority of India with pay at Level-14 (Rs. 1,44,200—2,18,200/-) of the pay matrix, for an initial period of 3 years, from the date of assumption of charge of the post or until further orders, whichever is earlier.

NARENDRA SINGH, Under Secretary

MINISTRY OF POWER

New Delhi-110001, the 28th October 2020

No. 12/2020 (File No. 2-12/2/2020-Adm.II)—On attaining the age of superannuation, Shri Nimai Adhikari, Under Secretary, Ministry of Power shall retire from Government Service in the afternoon of the 31st October, 2020.

HAUSUANTHANG GUITE, Under Secretary